

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2024-25 का वार्षिक कार्यक्रम

| क्र.सं. | कार्य विवरण | "क" क्षेत्र | "ख" क्षेत्र | "ग" क्षेत्र |
|---------|---|--|---|---|
| 1. | हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित) | 1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 65% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 100% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति | 1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4.ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 90% के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति | 1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55% 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55% 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 55% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति |
| 2. | हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना | 100% | 100% | 100% |
| 3. | हिंदी में टिप्पण | 75% | 50% | 30% |
| 4. | हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम | 70% | 60% | 30% |
| 5. | हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती | 80% | 70% | 40% |
| 6. | हिंदी में डिक्टेसन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा) | 65% | 55% | 30% |
| 7. | हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि) | 100% | 100% | 100% |
| 8. | द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना | 100% | 100% | 100% |
| 9. | जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुलअनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय। | 50% | 50% | 50% |
| 10. | हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधायुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जिनमें कंप्यूटर भी शामिल है, की खरीद | 100% | 100% | 100% |

| | | | | |
|-----|--|---------------|--|---------------|
| 11. | वेबसाइट द्विभाषी हो | 100% | 100% | 100% |
| 12. | नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड आदि द्विभाषी रूप में प्रदर्शित किए जाएं । | 100% | 100% | 100% |
| 13. | (i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत) | 25% (न्यूनतम) | 25% (न्यूनतम) | 25% (न्यूनतम) |
| | (ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण | 25% (न्यूनतम) | 25% (न्यूनतम) | 25% (न्यूनतम) |
| | (iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण | | वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण | |
| 14. | राजभाषा संबंधी बैठकें (क) हिंदी सलाहकार समिति (ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति | | वर्ष में 2 बैठकें वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक) वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक) | |
| 15. | कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद | 100% | 100% | 100% |
| 16. | मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हों । | 40% | 30% | 20% |

(न्यूनतम अनुभाग)

सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, "क" क्षेत्र में कुल कार्य का 40%, "ख" क्षेत्र में 25% और "ग" क्षेत्र में 15% कार्य हिंदी में किया जाए ।